

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./09/66/2021/एफ0 सी0/935

दिनांक: 29/10/2021

✓ सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:- जनपद-पिथौरागढ़ में माननीय घोषणा संख्या 1732/2015 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र डीडिहाट के अन्तर्गत अरकोट से कूटा मोटर मार्ग निर्माण हेतु 4.915 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु 'लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में। (Online No. FP/UK/ROAD/31411/2018)

सन्दर्भ:-कार्यालय-अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड का पत्रांक - 980 /FP/UK/ ROAD/31411/2018 दिनांक 11-10-2021.

महोदय,

उपरोक्त विषय पर संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करते हुए मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 15.03.2021 का उत्तर राज्य सरकार के संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत किया है। प्रेषित उत्तर में कुछ त्रुटियाँ पाई गयी है अतः आपसे अनुरोध है कि निम्नांकित अभिलेख/दस्तावेज़ इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें :-

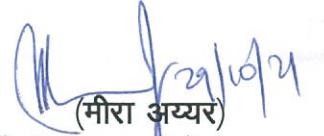
1. Enumeration में 0.28 हे० वन क्षेत्र जो कि मलवा निस्तारण हेतु चयनित है पर वृक्षों की स्थिति स्पष्ट नहीं की गयी है। अतः पृथक से सूची प्रेषित करने का कष्ट करें।
2. राज्य सरकार द्वारा यह अवगत किया गया है कि कुल 743 वृक्षों (नाप भूमि के वृक्षों को सम्मिलित करते हुये) में से 597 वृक्षों का ही पातन किया जायेगा। किन्तु यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उनमें वन भूमि के कितने एवं नाप भूमि के कितने वृक्ष होंगे। अतः इस संबंध में स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत करें।
3. बिन्दु सं० 8 के सापेक्ष संशोधित प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है जिनमें यह उल्लेखित है कि सी०ए० हेतु चयनित भूमि 1000 पौधों प्रति हे० की दर से plantation हेतु उपयुक्त है, किन्तु न

तो DFO द्वारा site visit की गई है और ना ही वीडियो दर्शित होने के कारणों को स्पष्ट किया गया है। प्रस्तावित सीओ क्षेत्र में वीडियो मान्य नहीं है। अतः guidelines के अनुसार अतिरिक्त क्षेत्र प्रस्तावित करने का कष्ट करें।

4. Reclamation plan भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। कृपया Reclamation plan प्रेषित करने का कष्ट करें।

यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर (अधिकतम 90 दिन) इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीया,



उप महानिरीक्षक, वन (के०)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड़, देहरादून।

(मीरा अग्रवाल)

उप महानिरीक्षक, वन (के०)